

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-24/01/2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर निगम, आरा में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत नगर प्रबंधक को प्रति माह ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) मात्र की दर से 12 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नगर निगम, आरा में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत नगर प्रबंधक को वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय कार्यालय आदेश सं०- 89-सह-पठित ज्ञापांक- 1084, दिनांक- 13.02.2019 के आलोक में प्रति माह ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) मात्र की दर से 12 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक नगर प्रबंधक के एक माह का मानदेय	मानदेय दिये जाने के माह की संख्या	स्वीकृत मानदेय की राशि (3 X 4 X 5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, आरा	1	40,000.00	12	4,80,000.00
	कुल योग	1	40,000.00	12	4,80,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र।

2. विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) किया गया था। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश सं०- 89-सह-पठित ज्ञापांक- 1084, दिनांक- 13.02.2019 द्वारा नगर प्रबंधकों का मासिक मानदेय ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) से बढ़ाकर ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) किया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान फरवरी, 2019 से किया जा रहा है।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 733, दिनांक- 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगम, आरा के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।**
4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
7. उक्त स्वीकृत राशि ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विपत्र कोड सं०- **48-2217801910015**, विषय शीर्ष- 015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन से की जाएगी।
8. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०-19-03/2012 के पृष्ठ सं०- **173** /टि० पर दिनांक- **21.1.20** को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- **176** /टि० पर दिनांक- **23.1.20** को प्राप्त है।
10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा/कोषागार पदाधिकारी, आरा कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/—

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 205 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-24/01/2020

**प्रतिलिपि:-** जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा/नगर प्रबंधक, नगर निगम आरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, आरा कोषागार, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

24.01.2020  
सरकार के विशेष सचिव।